

12/13

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतकर्ता)
श्रीगंगानगर

A2

7

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है :-

जिला कलक्टर ऐसा रिकार्ड शुद्धता व वैधता की जांच हेतु रिकार्ड मंगाकर राज्य सरकार अथवा राजस्व मण्डल को भेज सकते हैं।

प्रस्तुत रैफरेंस तहसीलदार, पदमपुर द्वारा भू-राजस्व अधिनियम की धारा 82 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। उक्त धारा के अनुसार जिला कलक्टर अपने किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय के अधिकारी जो उनके अधीनस्थ हैं, के रिकॉर्ड को मंगवाकर उसकी वैधता के सम्बन्ध में जांच कर सकते हैं। स्टेट द्वारा प्रस्तुत पटवारी की रिपोर्ट, जमाबंदी, नामान्तरण, भू-प्रबन्धन विभाग की जमाबन्दी के अनुसार जोहड़ दर्ज है। इंतकाल अनुसार जोहड़ स्वीकृत हुआ है।

उक्त भूमि की किस्म जोहड़ पायतन दर्ज थी, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमि थी और आवंटन योग्य नहीं थी। ऐसी स्थिति में आवंटन के लिए प्रतिबंधित भूमि का आवंटन अप्रार्थी संस्था के पक्ष में किया गया है, वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रतिकूल होने से अवैध है और आवंटन खारिज किये जाने योग्य होने से मामला अप्रार्थी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 सपठित धारा 9 में रेफरेंस किए जाने हेतु प्रकरण मय आदेश माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर को प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 12/5 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

17

(वीरेंद्र कुमार वर्मा)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतकर्ता)
श्रीगंगानगर

12/13

राजस्थान जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर(सतर्कता) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी:- वीरेन्द्र कुमार वर्मा, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या :-12/2013

दायर दिनांक 14.02.13

राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुरप्रार्थी
बनाम

बलवन्तसिंह पुत्र श्री बग्गासिंह जाति रायसिख निवासी 13 एच अप्रार्थी

रेफरेंस राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82.

उपस्थित:-

1. राजकीय अधिवक्ता, राज्य पक्ष की ओर से
2. श्री बलराम स्वामी एडवोकेट अप्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 12/05/17

उपरोक्त प्रकरण के सारगर्भित तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर द्वारा रेफरेंस राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत पेश किया गया कि उपखण्डाधिकारी एवं आवंटन अधिकारी श्री करणपुर द्वारा आराजी चक 13 एच के खसरा नम्बर 90 के 12 बीघा व खसरा नम्बर 91 के 86 बीघा गैर मुमकिन पायतन में से खसरा नम्बर 91 के मु0नं0 22 के किला नम्बर 21 से 25 तादादी 5.00 बीघा व मु0 नं0 23 के किला नम्बर 15 से 17, 24,25 कुल 5.00 बीघा बलवन्त सिंह को आवंटित किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के सन्दर्भ में जोहड़ पायतन का रकबा अप्रार्थी को रकबा आवंटन नहीं किया जा सकता था। अतः रेफरेंस स्वीकार किया जाकर आवंटित रकबा निरस्त करने हेतु माननीय राजस्व मण्डल को आग्रह किया जावे।

रेफरेंस पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री बलराम स्वामी एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। संबंधित रेकार्ड तलब किया गया।

वहस उभय पक्षीय सुनी गई। राजकीय अधिवक्ता का कथन है कि आराजी जेर रफरेंस जोहड़ पायतन की थी जिसे आवंटन करने का अधिकार उपखण्डाधिकारी श्री करणपुर को नहीं था। रेफरेंस कर्ता भूमिधारक है, अतः वह रफरेंस करने का अधिकारी है। बाद सुनवाई माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया जावे।

इसके विरोध में लायक वकील अप्रार्थी का कथन है कि प्रश्नस्पद आवंटन दिनांक 31.07.1984 का है तथा रेफरेंस 30 वर्ष पश्चात किया गया है यदि किसी पक्षकार का कब्जा 30 वर्ष का है तो उससे कब्जा नहीं लिया जा सकता। अप्रार्थी को कानूनी प्रक्रिया अपनाकर आवंटन किया गया था व वह रकबा आवंटन का पात्र पाये जाने के कारण ही आवंटन किया गया था। जिस पर विधि प्रकोष्ठ द्वारा भी कोई आपत्ति नहीं की गई थी। जोहड़ पायतन की तत्समय आवश्यकता नहीं थी न ही अब ही कोई आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान में वाटर वर्क्स व जी एल आर से पानी सप्लाई हो रहा है। अप्रार्थी द्वारा कोई तथ्य नहीं छिपाया गया है बल्कि अन्य 27 आवंटन पत्रावलियों का एक साथ निर्णय किया गया है। अतः रेफरेंस निरस्त किया जावे।

वहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर